न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

<u>अग्रिम जमानत संख्या–558/2026</u>
(झंझारपुर थाना कांड संख्या–93/2026; अन्तर्गत धारा: 30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम नागे महतो उर्फ शत्रुघन कुमार महतो

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
16.06.2026 लगातार...	आवेदक अभियुक्त **नागे महतो उर्फ शत्रुघन महतो,** उम्र–32 वर्ष, पिता–महावीर महतो, सा0–कन्हौली, वार्ड सं0–06 थाना–झंझारपुर, जिला–मधुबनी की ओर से झंझारपुर थाना कांड संख्या 93/2026 (अन्तर्गत धारा: 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 06.06.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बेचन राय द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता व्यस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे सात अन्य आपराधिक् इतिहास (झंझारपुर थाना कांड सं0–84/2024, 112/2022, 156/2020, 231/2021, 64/2025, 47/2017, 211/2024) है तथा सभी कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। आवेदक को इस कांड झूठ फंसाया गया है। आवेदक के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता के फरार होने तथा उनके द्वारा साक्ष्य से किसी प्रकार की छेड़छाड़ किये जाने की संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा घटनास्थल से अशोक कुमार महतो एवं बिनोद पासवान को कुल 135 लीटर नेपाली देशी मामाश्री शराब के साथ गिरफतारी किया गया परंतु आवेदक भागने में सफल रहे। आवेदक का इस कांड के अलावे सात अन्य आपराधिक इतिहास है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 31.05.2026 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल द्वारा सुबह समय 08:20 बजे गोधनपुर स्थित अशोक कुमार महतो के घर के पीछे झाड़ी में अशोक कुमार महतो एवं बिनोद पासवान को गिरफ्तार किया गया तथा झाड़ी से 03 उजले रंग का बोरा, प्रत्येक बोरा से 05 कार्टून, प्रत्येक कार्टून से 30 बोतल, प्रत्येक बोतल में 300 मि0ली0, कुल 135 लीटर नेपाली देशी मामाश्री शराब एवं एक लाल रंग के ग्लेमर मोटरसाईकिल निबंधन सं0–बीआर32एन2736 बरामद किया गया तथा एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। घटनास्थल से गिरफतार अभियुक्तों द्वारा भागने में सफल रहे व्यक्ति के रूप में नागे महतो उर्फ शत्रुघन कुमार महतो का पहचान किया गया है जो इस अग्रिम जमानत आवेदन के याचिकाकर्ता	

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–558/2026

(झंझारपुर थाना कांड संख्या–93/2026; अन्तर्गत धारा: 30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम नागे महतो उर्फ शत्रुघन कुमार महतो

16.06.2026	है। कांड दैनिकी के कंडिका 39 (शराब जांच प्रतिवेदन) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि घटनास्थल से जप्त पदार्थ शराब है। कांड दैनिकी के कंडिका 38 एवं अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका 03 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे सात अन्य आपराधिक इतिहास (झंझारपुर थाना कांड सं0–84/2024, 112/2022, 156/2020, 231/2021, 64/2025, 47/2017, 211/2024) है तथा सभी कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 02, 03, 04, 05 एवं 08 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा घटनास्थल से गिरफतार किए गए सह–अभियुक्तों घटनास्थल से भागने में सफल रहे व्यक्ति के रूप में आवेदक का पहचान एवं शराब के बरामदगी की पुष्टि की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टया आवेदक के इस कांड मे तथा शराब के भंडारण एवं कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति, कांड मे की गयी बरामदगी एवं विशेषतया आवेदक के आपराधिक इतिहास तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **नागे महतो उर्फ शत्रुघन कुमार महतो** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 16.06.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीष, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित:–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर